रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91] दिल्ली, बुधवार, जुलाई 16, 2014/आषाढ़ 25, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 62
No. 91] DELHI, WEDNESDAY, JULY 16, 2014/ASHADHA 25, 1936 [N.C.T.D. No. 62

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (सामान्य) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 जुलाई, 2014

सं. फा. 1/16/2003/गृह (सा.)/3872.— दिल्ली गृह रक्षक नियमावली, 1959 के नियम 18 के उपबंध के अनुसरण में तथा दिल्ली गृह रक्षकों को अनुग्रह राशि के भुगतान की स्वीकृति संबंधी दिनांक 10.10.2006 की अधिसूचना सं. फा. 01/16/2003/गृह (सा.)/3810 के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित परिस्थितियों में दिल्ली गृह रक्षक के सदस्यों को एकमुश्त अनुग्रह राशि के रूप में क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित करते हैं, अर्थात् :—

(क)	कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु होने पर	10.00 लाख रुपये
(ख)	आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों आदि के हिंसक कार्यों के परिणामस्वरूप कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान मृत्यु होने पर	10.00 लाख रुपये

उपराज्यपाल, ड्यूटी पर या प्रशिक्षणाधीन चोटग्रस्त हुए दिल्ली गृह रक्षक के सदस्यों को अनुग्रह राशि के रूप में क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिये उक्त नियमावली के नियम 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक भी निर्धारित करते हैं, अर्थात् :—

क्र. सं.	चोट का प्रकार	क्षतिपूर्ति की राशि
1.	(क) दोनों नेत्रों की हानि (ख) एक नेत्र की हानि	2.00 लाख रुपये 1.00 लाख रुपये
2.	(क) दो अंगों की हानि (ख) एक अंग की हानि	2.00 लाख रुपये 1.00 लाख रुपये
3.	उक्त 1 और 2 को छोड़कर भारतीय दंड संहिता, 1860 में यथापरिभाषित गंभीर चोट आने पर	30,000 रुपये

अनुग्रह राशि के रूप में भुगतानयोग्य उक्त विनिर्दिष्ट क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान उन विभागों/संगठनों/अभिकरणों द्वारा किया जाएगा जिनके अनुरोध पर ऐसे प्रभावित गृह रक्षक को कर्त्तव्य निर्वहन करने के लिये बुलाया गया था। यह इस अधिसूचना के जारी होने के बाद ही प्रभावी होगी और इसके अन्तर्गत केवल वही मृत्यु/दुर्घटना आएगी, जो अधिसूचना की तिथि के बाद हुई।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

इंदु सिन्हा, उप–सचिव

HOME (GENERAL) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th July, 2014

No. F. 1/16/2003-HG/3872.— In pursuance of the provision of rule 18 of the Delhi Home Guards Rules, 1959 and in supersession of notification No. F. 1/16/2003-HG/3810, dated 10.10.2006 regarding sanction of ex-gratia payment to Delhi Home Guards, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to prescribe the following norms for the payment of compensation in the form of ex-gratia lump sum to the member of the Delhi Home Guards in the following circumstances, namely :—

(a)	Death occurring due to accident in the course of performance of duties	Rs. 10.00 Lacs
(b)	Death occurring in the course of performance of duties attributable to acts of violence by terrorists, anti-social elements, etc.	Rs. 10.00 Lacs

The Lt. Governor is further pleased to prescribe the following norms under rule 18 of the said Rules to govern the payment of compensation in the form of ex-gratia to members of the Delhi Home Guards who suffer injuries while on duty or under training, namely :—

(1)	(a) Loss of both eyes	Rs. 2.00 Lacs
	(b) Loss of one eye	Rs. 1.00 Lacs
(2)	(a) Loss of two limbs	Rs. 2.00 Lacs
	(b) Loss of one limb	Rs. 1.00 Lacs
(3)	Grievous hurt as defined in the Indian Penal Code, 1860 other than 1 and 2 above	Rs. 30,000

The payment of the compensation specified above and payable in the form of ex-gratia shall be made by the Department/Organizations/Agencies at whose request the Home Guards thus affected were called up for duties. This will come into effect only after the issuance of this notification and will cover only those deaths/accident that take place after the date of notification.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
INDU SINHA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.